नम्बर मुकदमा 518/2017
स्टेट बनाम हरदीपसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :-यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवानः-प्रार्थना पत्र संख्या 518/2017

स्टटे ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व)श्री गंगानगर (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

1. हरदीपसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख सा.10 कयू तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2. रविन्द्रपालसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख सा.10 कयू तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....अप्रार्थी

-::उपस्थितः:-

1.पैरोकार राज ....प्रार्थी

-:निर्णयः-

तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर ने यह प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व आधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गयी है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि:-

अप्रार्थी के नाम चक 10 क्यू पटवार क्षेत्र संगतपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स. 68 के मु.न.14 में 0.303 है, मु.न.41 में 2.480 है, मु.न.49 में 1.240 है, कुल 4.023 है. नहरी /बारानी मय खाला भूमि - हरदीपसिंह पुत्र मलकीतसिंह 3.427 है. रविन्द्रपालसिंह पुत्र हरनेकसिंह 0.644 है.जाति जटसिख सा.देह खातेदार दर्ज है राहिन-जमबन्दी बदस्तूर

अप्रार्थी के सहखातेदारो में बंटवारा आदेशा अनुसार पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण स. 235 दिंनाक 16.02.06 दर्ज किया गया । उक्त बंटवारा आदेश अनुसार सह खातेदारो को 4.023 है.भूमि प्राप्त हुई, परन्तु कास्तकारो के हिस्सो का मिलान नही किया गया जाकि 4.071 है. बनता था जो कुल भूमि से 0.048 है अधिक है। जो आज दिंनाक चला आ रहा है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 1ता 2 कि नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 1.हरदीपसिंह पुत्र मलकीतसिंह उपस्थित आया ,अप्रार्थी द्वारा लिखित प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त बंटवारा आदेशो में मुझ अप्रार्थी को 3.427 है.भूमि प्राप्त हुई है जो कि 3.379 है. भूमि का ही हकदार था।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चुँकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थाना पत्र पर बहस सुनी गई बहस मे प्रार्थना पत्र के कथनों के दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया ।

हमने अप्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

अतः अप्रार्थी आपसी सहमति के आधार पर वर्णित कृषि भूमि मे हरदीपसिंह की 3.427 है.भूमि को 3.379 है.दरुस्त करवाने का अधिकारी है।

-::आदेश::-

अप्रार्थी संख्या 1.की सहमति के आधार पर चक-10 क्यू पटवार क्षेत्र संगतपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स. 68 के मु.न.14 में 0.303 है, मु.न.41 में 2.480 है, मु.न.49 में 1.240 है, कुल 4.023 है. नहरी /बारानी मय खाला भूमि - हरदीपसिंह पुत्र मलकीतसिंह 3.379 है.रविन्द्रपालसिंह पुत्र हरनेकसिंह 0.644 है.जाति जटसिख दरुस्त करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिंनाक 19.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)